



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1943 (श10)

(सं0 पटना 594) पटना, शुक्रवार, 9 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

9 जुलाई 2021

एस0 ओ0 116, दिनांक 9 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 206 दिनांक 23 दिसंबर 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 970 दिनांक 23 दिसंबर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक में "अप्रैल 2021" शब्दों और अंकों के बाद "और मई 2021" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-12)1190)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

9 t ykb 2021

एस० ओ० 116, दिनांक 9 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1190)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

***The 9th July 2021***

S.O. 116, dated 9th July 2021— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 206 dated the 23<sup>rd</sup> December, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 970 dated the 23<sup>rd</sup> December, 2020, namely:—

In the said notification, in the second proviso, after the word and figure “April, 2021”, the words and figure “and May, 2021” shall be inserted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1190)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 594-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>